न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/266** दायर दिनांक 15.9.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. भंवराराम पुत्र मोहनाराम जाति जाट निवासी कलवाणी तहसील डीडवाना।	बनाम्	1. तुलछाराम पुत्र चिमनाराम 2. नन्दाराम पुत्र चिमनाराम 3. पदमाराम पुत्र चिमनाराम 4. कानाराम पुत्र मोहनराम 5. सजुं पुत्र श्रवणराम (नाबालिग भाई सुरेश) 6. सुरेश पुत्र श्रवणराम 7. रामेश्वर लाल पुत्र गणेशाराम 8. गोपालराम पुत्र गणेशराम 9. ओमप्रकाश पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी कलवानी तह. डीडवाना। 10. तहसीलदार डीडवाना।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
बंटवारा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी अधिवक्ता वादी
2. संमदर सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 ता 09

–:: निर्णय ::–

दिनांक **15.09.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य है जिनका पैतृक खातेदारी का खेत ख. न. 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा व खसरा न. 154 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा एवं ख.न. 39 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा वाके शरहद कलवानी में आया हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य है एवं पृथक रहते है व पृथक ही कमाते खाते है तथा पृथक ही निवास करते है।

वादी भंवराराम व प्रतिवादीगण कानाराम सुरेश व संजू के बन्ट व कब्जा काश्त में आयी हुई भूमि खेत ख. न. 154 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण खेत ख. न. 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा में नजरी नक्शा में से दर्शाया अनुसार 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागोर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/266
दायर दिनांक 15.09.2017, निर्णय दिनांक 15.09.2017
भंवरराम बनाम तुलछाराम वगैरा।

प्रतिवादी पदमाराम के बन्ट व कब्जा काश्त में आयी भूमि खेत ख. न. 39 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण। कि प्रतिवादी रामेश्वरलाल गोपाल ओमप्रकाश के ख. न. 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा में से 04 बीघा 13 बिस्वा भूमि नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार। कि खेत खसरा न. 132 में 35 बिस्वा का लगभग 19 फुट चोडाई का नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार संयुक्त रूप से रास्ते के उपयोग के लिए रास्ता रखा गया है।

प्रार्थना वादी है कि उपर वर्णित वाद के अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवायी जावें व इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बन्टवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण सं0 01 ता 09 स्वयं उपस्थित। वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 09 ने राजीनामा पेश किया जो निम्न प्रकार है:–

वादी भंवरराम व प्रतिवादीगण कानाराम सुरेश व संजू के बन्ट व कब्जा काश्त में आयी हुई भूमि खेत ख. न. 154 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण खेत ख. न. 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा में नजरी नक्शा में से दर्शाया अनुसार 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि।

प्रतिवादी पदमाराम के बन्ट व कब्जा काश्त में आयी भूमि खेत ख. न. 39 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण। कि प्रतिवादी रामेश्वरलाल गोपाल ओमप्रकाश के ख. न. 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा में से 04 बीघा 13 बिस्वा भूमि नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार। कि खेत खसरा न. 132 में 35 बिस्वा का लगभग 19 फुट चोडाई का नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार संयुक्त रूप से रास्ते के उपयोग के लिए रास्ता रखा गया है।

राजीनामा की इबारत पक्षकारान को पढकर सुनाई व समझाई गई। जिसे बिना किसी लालच व दबाव के सही होना स्वीकार किया। वादी की पहचान वकील श्री महेन्द्र खिलेरी ने तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री समंदरसिंह ने की। अतः हस्ब ख्वाहिश पक्षकारान राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

पक्षकारान व वकुलाय जरिये राजीनामा दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है। वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/266
दायर दिनांक 15.09.2017, निर्णय दिनांक 15.09.2017
भंवराराम बनाम तुलछाराम वगैरा।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद कलवानी के खसरा सं0 154 रकबा 11 बीघा 05 बिवा, खसरा सं0 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं0 39 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा का बंटवारा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:– वादी भंवरराम व प्रतिवादीगण कानाराम सुरेश व संजू के बन्ट व कब्जा काश्त में ख. न. 154 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खेत खसरा संख्या 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा में नजरी नक्शा में से दर्शाया अनुसार 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा घोषित की जाती है।

प्रतिवादी पदमाराम के बन्ट व कब्जा काश्त में खेत खसरा संख्या 39 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण घोषित की जाती है।। प्रतिवादी रामेश्वरलाल गोपाल ओमप्रकाश के ख. न. 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा में से 04 बीघा 13 बिस्वा भूमि नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार। खेत खसरा संख्या 132 में 35 बिस्वा का लगभग 19 फुट चोडाई का नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार संयुक्त रूप से रास्ते के उपयोग के लिए रास्ता घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **15.09.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक:- 22/11/2017

नोट:- वकील वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शा रेकर्ड पर लिया जाता है तथा खसरा सं0 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा में से 34 बीघा 07 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 01 ता 03 के घोषित की जाती है। संशोधित नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/266 | दायर दिनांक 15.09.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. भंवराराम पुत्र मोहनाराम जाति जाट निवासी कलवाणी तहसील डीडवाना।	बनाम्	1. तुलछाराम पुत्र चिमनाराम 2. नन्दाराम पुत्र चिमनाराम 3. पदमाराम पुत्र चिमनाराम 4. कानाराम पुत्र मोहनराम 5. संजू पुत्र श्रवणराम (नाबालिग भाई सुरेश) 6. सुरेश पुत्र श्रवणराम 7. रामेश्वर लाल पुत्र गणेशाराम 8. गोपालराम पुत्र गणेशराम 9. ओमप्रकाश पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी कलवानी तह. डीडवाना। 10. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 15.09.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता वादी व श्री समंदरसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 ता 09 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद कलवानी के खसरा सं0 154 रकबा 11 बीघा 05 बिवा, खसरा सं0 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं0 39 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा का बंटवारा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार किया जाता हैः– वादी भंवराराम व प्रतिवादीगण कानाराम सुरेश व संजू के बन्ट व कब्जा काश्त में ख. न. 154 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खेत खसरा संख्या 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा में नजरी नक्शा में से दर्शाया अनुसार 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा घोषित की जाती है। प्रतिवादी पदमाराम के बन्ट व कब्जा काश्त में खेत खसरा संख्या 39 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण घोषित की जाती है।। प्रतिवादी रामेश्वरलाल गोपाल ओमप्रकाश के ख. न. 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा में से 04 बीघा 13 बिस्वा भूमि नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार। खेत खसरा संख्या 132 में 35 बिस्वा का लगभग 19 फुट चोडाई का नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार संयुक्त रूप से रास्ते के उपयोग के लिए रास्ता घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।
नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट दीनदारपुरा में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनांक – 22/11/2017

नोट :- वकील वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शा रेकर्ड पर लिया जाता है तथा खसरा संख्या 132 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा में से 34 बीघा 07 बिस्वा बाबत प्रतिवादी नं० 01 ता 03 के घोषित की जाती है/ संशोधित नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner